प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 24.09.2019 को आयोजित पटना नगर निगम के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :—

दिनांक 24.09.2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय कक्ष में पटना नगर निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, अपर नगर आयुक्त, मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम, सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी तथा संबंधित विभागीय वरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए।

<u>बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये</u> —

1. अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 को सम्पूर्ण राज्य में ODF घोषित किया जाना निर्धारित है। ODF घोषित किये जाने से पूर्व भारत सरकार के QCI टीम द्वारा संबंधित निकायों का विभिन्न बिन्दुओं पर सर्वे किया जाता है और उसके उपरांत निकाय को ODF घोषित करने की कार्रवाई की जाती है। तदनुसार निर्देश दिया गया कि पटना नगर निगम के सभी अंचलों में हर हालत में सभी शौचालयविहीन परिवारों को शत–प्रतिशत शौचालय उपलब्ध हो जाय।

2. पटना नगर निगम क्षेत्र में ठोस कचरा का प्रसंस्करण एवं कम्पोस्टिंग का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाय और तत्काल पॉयलट आधार पर प्रत्येक अंचल के कम से कम 03 वार्डों में Segregation at Source का कार्य प्रारंभ किया जाय। यह अवगत कराया गया कि ठोस कचरा के प्रबंधन एवं प्रसंस्करण हेतु माननीय NGT के न्यायालय द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है और इस कार्य को निश्चित समयसीमा के अंदर प्रारंभ करने का निर्देश है।

3. पटना नगर निगम क्षेत्र में हर घर नल जल योजना के तहत पाईपलाईन विस्तार एवं कनेक्शन हेतु विभाग द्वारा पूर्व में प्रत्येक वार्ड के लिए योजना स्वीकृत की गयी थी। इसके कार्यान्वयन के संबंध पूछे जाने पर पटना नगर निगम के अभियंताओं द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया कि इन योजनाओं की प्रगति का समीक्षा करके विभाग को एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदित करें और योजनाओं का कार्य शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

4. पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत सभी कच्चे नाली/गलियों के पक्कीकरण हेतु पूर्व में ही पटना नगर निगम द्वारा निविदा प्रकाशित कर दी गयी थी। इस संबंध में पूछा गया कि पटना शहरी क्षेत्र के प्रत्येक अंचल में अब कितने नाली/गली कच्चा रह गये हैं, जिसके पक्कीकरण हेतु अभी तक निविदा प्रकाशित नहीं हो पायी है तो इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। पटना नगर निगम के मुख्य नगर अभियंता द्वारा बताया गया कि नगर निगम मुख्यालय स्तर पर कच्चे/पक्के नाली एवं गली का समेकित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में उन्हें बताया कि नाली–गली योजना से संबंधित प्रतिवेदन 05 विहित प्रपत्रों यथा A, B, C, D एवं E में तैयार कर उलपब्ध कराने हेतु पूर्व में विभाग द्वारा सभी निकायों को निदेशित किया गया था, यदि इन प्रपत्रों में ही पटना नगर निगम द्वारा प्रतिवेदन तैयार करा लिया जाता है तो कच्चे/पक्के नाली/गलियों का समेकित डाटा तैयार हो जाएगा। तदनुसार निर्देश दिया गया कि इन प्रपत्रों में प्रतिवेदन तैयार का एक सप्ताह के अंदर विभाग को प्रतिवेदित किया जाय।

5. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को यह भी स्पष्ट किया गया कि नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत सर्वप्रथम सभी कच्चे गली एवं नालियों का ही पक्कीकरण किया जाना है और सभी योजनाओं में पथ के निर्माण के साथ ही नालियों का भी निर्माण होना है। तदनुसार ही प्राक्कलन में प्रावधान किया जाएगा।

6. यह बताया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में अवस्थित 20 फीट एवं उससे अधिक की चाड़ाई के सभी पथों का हस्तांतरण पथ निर्माण विभाग को करने का अनुरोध किया गया है ताकि वैसे पथों का पक्कीकरण/निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जा सके। तदनुसार इस संबंध में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि निगम क्षेत्र में अवस्थित 20 फीट एवं उससे अधिक की चाड़ाई के वैसे पथों को आवश्यक शर्त्त निर्धारित करते हुए पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जाय।

7. विभागीय पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पटना नगर निगम से संबंधित लोक लेखा समिति की कंडिकाओं एवं महालेखाकार कार्यालय की आपत्तियों संबंधी कई महत्वपूर्ण मामले लंबी अवधि से लंबित हैं, जिसका शीघ्र निष्पादन आवश्यक है। निर्देश दिया गया कि इन सभी मामलों के निष्पादन हेतु पटना नगर निगम के किसी जिम्मेवार पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी जाय, जो विभाग से समन्वय करके इसका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित कराएंगे।

8. अवगत कराया गया कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 को सभी जिलों/निकायों में भू–गर्भ जल के रिचार्ज संबंधी योजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समेकित रूप से किया जाना पूर्व निर्धारित है। इस क्रम में निर्देश दिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में अधिक से अधिक योजनाओं यथा रेन–वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण, सरकारी तालाबों/पोखरों की उड़ाही तथा कुँओं का जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन/प्रारंभ करना सुनिश्चित करें और उद्घाटन हेतु वैसे सभी योजनाओं को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किये गये जल जीवन हरियाली संबंधी Web Application में प्रविष्टि सुनिश्चित करें।

9. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पटना नगर निगम के मुख्यालय स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाय और इसकी सूचना आज ही विभाग को दी जाय। यह भी निर्देश दिया गया कि पटना नगर निगम के स्तर पर सभी विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु योजनावार नोडल पदाधिकारी नामित करें ताकि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा योजनाओं के अनुश्रवण/समीक्षा के क्रम में सीधे पटना नगर निगम के संबंधित नोडल पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकें। इस हेतु पटना नगर निगम द्वारा 02 दिनों के अंदर योजनावार नोडल पदाधिकारी नामित करके विभाग को प्रतिवेदित किया जाएगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

26/9/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

Proceeding 24.09.19

DK

ज्ञापांक—......5208.......न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 26/9/19

प्रतिलिपि :— नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/पटना नगर निगम के सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी/मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/9/2019

प्रधान सचिव

ज्ञापांक—......5208.......न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 26/9/19

प्रतिलिपि :— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2 एवं 3/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

26/9/2019

प्रधान सचिव